खबर संक्षेप

बाल विवाह कानूनन अपराध, 1098 पर करें सूचना

शासकीय कन्या विद्यालय सोहागपुर में छात्राओं को किया गया जागरूक

शहडोल। जिले में बाल विवाह के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहागपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास संजीता भगत ने कहा कि समाज के कई क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह की प्रथा मौजूद है, जिसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव बालिकाओं पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि कम उम्र में गर्भधारण से बालिकाएं न तो शारीरिक रूप से विकसित हो पाती हैं और न ही मानसिक रूप से परिपक्व हो पाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और भविष्य दोनों पर नकारात्मक असर होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह होने पर कई शासकीय योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, का लाभ उपलब्ध नहीं हो पाता।

सहायक संचालक ने बताया कि बाल विवाह कानूनन दंडनीय अपराध है। विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और युवकों के लिए 21 वर्ष है। उन्होंने अपील की कि बाल विवाह की किसी भी जानकारी को तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और बालिकाओं को सुरक्षित किया जा सके। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की केसवर्कर भानुप्रिया महरा, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। अधिकारियों ने छात्राओं से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति की सूचना तुरंत देने की अपील की।

खुले वाहनों में ढुल रही राखड़, बढ़ रहा प्रदूषण

सड़कों पर बढ़ी दुर्घटना, गंभीर नहीं जिम्मेदार

वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, अमलाई, धनपुरी एवं बुढ़ार क्षेत्र की सडको पर नियमों की अनदेखी की वजह से बेखौफ नियमों को दरकिनार कर बिना ढंके राख का परिवहन किया जा रहा है, सडकों से गुजरते हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को जीना मुहाल हो गया है, राखड़ परिवहन करने वाले हाईवा जगह-जगह राख गिरा रहे है, जो थोड़ी सी हवा चलने पर राख उडकर घरों में घुस रही है, घरो व दरवाजे के सामने में रहना दुश्वार हो गया है।

शहडोल

संभाग के अनूपपुर जिले के अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले राखड़ ट्रकों में ओव्हरलोडिंग परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा। बीते कई महीनों से सारे नियमो को ताक में रखकर राखड़ वाहनों में ओव्हरलोडिंग की जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी हांथ में हांथ धरे बैठे हुए है। मजे की बात तो यह है कि थर्मल पॉवर प्लांट से खुले वाहनों में राखड़ दी जा रही है, जिससे सडक़ों पर प्रदूषण फैल रहा है, साथ ही उक्त वाहन के चालको द्वारा तेजगति से वाहन दौड़ाया जाता है, जिससे सडक़ पर चलने वाले लोगों का जान का खतरा बना रहा है, इस मामले में चचाई एवं धनपुरी पुलिस भी चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस कप्तान ने राखड़ के ओव्हरलोड वाहनों में कार्यवाही करने की बात भी कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही पुलिस के द्वारा नही की गई है।

हर माह सबका हिस्सा

विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रियों में राखड़ परिवहन करने वाले ट्रक मालिको ने प्रबंधन व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए मौखिक रूप से बताया कि हम लोग खुद चाहते है कि हमारे वाहनों में अंडरलोड राखड़ परिवहन कराया जाए, लेकिन स्थानीय प्रबंधन व जिम्मेदारों की मिलीभगत से वाहनों में क्षमता से अधिक राखड़ लोड दिया जाता है। बताया गया है कि ओव्हरलोड वाहन चलाने के कारण हमें तो भारी नुकसान है, लेकिन कुछ जिम्मेदारों के निहित स्वार्थ के लिए यह ओव्हरलोडिंग प्रचलन बरकरार है। बताया जाता है कि ओव्हरलोड वाहन चलाने के नाम पर हर महीने सभी का हिस्सा भी भेजा जाता है, जिससे इसमें कोई ध्यान नही देता।

यह कहते हैं कायदे

राखड़ परिवहन करने वाले 10 चका के वाहन में 25 टन वाहन सहित बजन होना चाहिए लेकिन उनमें 35 से 38 टन,12 चका के वाहन में 31 टन के जगह 38 से 40 टन,14 चका के वाहनों में 37 टन की जगह 50 टन,22 चका के वाहनों में निर्धारित क्षमता 49 टन की जगह 75 से 80 टन को लोडिंग की जा रही है जिससे वाहनों को भारी क्षति पहुचती है। हलाकि कि इस सम्बंध में कोई प्रमाणित पुष्टि उपलब्ध नही कराई गई।

दोनों की मिलीभगत

मौखिक जानकारी के मुताबिक सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजे जाने वाले राखड़ का भाड़ा सीमेंट फैक्ट्रियां कम भुगतान करती है। बताया गया है कि अंडरलोड चलने की स्थिति में फैक्ट्री को नियमानुसार भाड़ा भुगतान करना पड़ जायेगा, इसलिए सांठ-गांठ कर दबाव में ओव्हरलोड को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमे नुकसान छोटे ट्रक मालिको को होता है, लेकिन इसका फायदा सीधे स्थानीय प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों को होता है। बताया गया है कि सीमेंट फैक्ट्री अंडरलोड के नाम पर छलावा करती है, जो ट्रक मालिको से अंडरलोड राखड़ लेने की बात करती है, वही प्रबंधन द्वारा ओव्हरलोड कराया जाता है, जिसमे दोनों की मिलीभगत होती हैं।

बढ़ रही दुर्घटना

एनएच-43 में सर्वाधिक दुर्घटना का कारण ओव्हरलोड वाहन चलना होता है, क्योंकि ट्रिप बढ़ाने के चक्कर मे ट्रक चालक वाहन की रफ्तार तेजी रखता है जो असमय होने वाले दुर्घटना के कारण बनते है। क्षमता से अधिक भरे वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर हो जाते है जो सडक़ दुर्घटनाओं का कारण बनते है। ओव्हरलोड वाहन के प्रचलन से सडक़े भी असमय टूट जाती है। ट्रक मालिको का कहना है कि ओव्हरलोड प्रथा मात्र पुलिस यातायात विभाग ही नियंत्रित कर सकती है, क्योंकि जब पॉवर प्लांट से ओव्हरलोडिंग बंद हो जाएगी तो, सभी वाहनों में निर्धारित मापदंड से वाहन लोड होंगे। लेकिन ओव्हरलोड वाहन प्रचलन में प्रभावी कार्यवाही की दरकार है। बताया गया हैं कि प्रबंधन मूक सहमति देकर मिलीभगत के साथ खुले हाईवा जैसे वाहनों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमे नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

रसमोहनी बस्ती में फिर नजर आया भालू

शहडोल। जिले के जैतपुर वन परिक्षेत्र के रसमोहनी बस्ती में भालू की लगातार मौजूदगी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। पिछले कई दिनों से भालू बस्ती के बीच रात के समय मंडराता दिखाई दे रहा है, लेकिन वन विभाग की निष्क्रियता से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। स्थिति यह है कि लोग अपने घरों के बाहर आग जलाकर रात काटने पर मजबूर हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बस्ती में मौजूद बाजार के पास स्थित एक किराना दुकान के बाहर भालू एक सप्ताह के भीतर दो बार देखा गया था। घटना का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हुआ, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को दी। इसके बावजूद न तो निगरानी बढ़ाई गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। बीती रात भालू फिर बस्ती में आ पहुंचा, जिसे ग्रामीणों ने शोर कर और डंडे लेकर किसी तरह खदेड़ कर जंगल की ओर भगाया।

ग्रामीण रामजी गुप्ता ने बताया कि गांव में भालू की बढ़ती आवाजाही से लोग भयभीत हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा। इसी तरह ग्रामीण अनुराग का कहना है कि भालू रोजाना घूमता नजर आने के बाद अब लोग आग का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वन विभाग की ओर से सुरक्षा के नाम पर केवल आश्वासन ही दिया गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ढिलाई किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। बीते माह केशवाही क्षेत्र में एक महिला पर भालू के घातक हमले से उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद भी जैतपुर वन अमले ने सबक नहीं लिया। लोगों का कहना है कि विभाग शायद किसी और दुर्घटना की प्रतीक्षा कर रहा है, तभी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल निगरानी बढ़ाने, पिंजरा लगाने और पेट्रोलिंग शुरू करने की मांग की है ताकि किसी अनहोनी से पहले स्थिति पर काबू पाया जा सके।

धीरज पर महिला ने लगाये गहने न लौटाने के आरोप-पुलिस अधीक्षक से की शिकायत

शहडोल। संभागीय मुख्यालय के घरौला मोहल्ला वार्ड क्रमांक 18 निवासी रूपा सिंह पति अवनीश सिंह उम्र 35 ने स्थानीय ज्वेलर्स धीरज सोनी पर गहने वापस न करने और बकाया राशि बढ़ाकर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। रूपा सिंह के अनुसार आर्थिक संकट के चलते उनके पति को अचानक धन की आवश्यकता पड़ी थी। पति के कार्य में हुए वित्तीय नुकसान के कारण तत्काल 5 लाख रुपये की जरूरत थी। ऐसे में दंपत्ति ने अपने सोने एवं चांदी के गहने अस्थायी रूप से धीरज सोनी को गिरवी रख दिए थे। शिकायत में उल्लेख है कि दोनों परिवारों के बीच पुराने व्यावसायिक व पारिवारिक संबंध रहे हैं, जिसके आधार पर बिना किसी लिखित दस्तावेज या रसीद के ही गहनों का लेन-देन किया गया। हालांकि सावधानी के तौर पर गहनों की तस्वीरें मोबाइल में सुरक्षित रखी गई थीं।

आवेदिका ने बताया कि उन्होंने कुल 10 तोला सोना और लगभग 900 ग्राम चांदी के आभूषण गिरवी रखे थे। रूपा सिंह का आरोप है कि जब वे गहने छुड़ाने पहुंचीं और पूर्व निर्धारित 5 लाख रुपये लौटाने की बात कही, तो ज्वेलर धीरज सोनी ने अचानक 8 लाख रुपये की मांग कर दी। इतना ही नहीं शिकायत के अनुसार ज्वेलर द्वारा उन्हें गलत गहने दिखाए जा रहे हैं तथा धमकी भरे लहजे में कहा गया जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। महिला का दावा है कि लगभग एक वर्ष पूर्व वे 1 लाख रुपये नगद धीरज सोनी को चुका चुकी हैं, जो स्वयं उनके घर आकर राशि ले गए थे। अब जब उनके पति के कार्य में आर्थिक स्थिति सुधरी है, वे शेष भुगतान करने को तैयार हैं, परंतु ज्वेलर द्वारा अधिक राशि की मांग और वास्तविक गहने न लौटाए जाने के कारण वे मजबूर होकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से उनके परिवार की अमानत सभी सोने-चांदी के गहने वापस दिलाए जाने तथा आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की है।

नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार

शहडोल। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बनाने तथा उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता $10 दिसम्बर को अपने माता-पिता और जीजा के साथ महिला थाना पहुंची और लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी अनुराग गुप्ता उर्फ कान्हा पिता संतोष गुप्ता, निवासी कनाड़ी खुर्द, थाना जयसिंहनगर से उसकी जान-पहचान स्कूल में साथ पढऩे के दौरान हुई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी अनुराग गुप्ता ने लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बना ली। इन सामग्री को वायरल करने की धमकी देकर वह पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा, जिसके कारण पीड़िता डर के मारे हफ्ते-पंद्रह दिन में जयसिंहनगर जाकर जबरन बनाए गए शारीरिक संबंधों के लिए मजबूर होती रही। 05 दिसम्बर को आरोपी ने पीड़िता के घर आकर मना करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और मारपीट भी की। इसके बाद $09 दिसम्बर की रात को भी ब्लैकमेलिंग से डरकर बुलाने पर गई पीड़िता के साथ आरोपी ने पुनः जबरन बलात्कार किया।

पीड़िता द्वारा जानकारी देने के उपरांत महिला थाना शहडोल में तत्काल आरोपी अनुराग गुप्ता उम्र 19 वर्ष के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 11 दिसम्बर को आरोपी अनुराग उर्फ कान्हा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई निरीक्षक अजय बैगा के नेतृत्व में उप निरीक्षक जीवन सिंह टेकाम, सहायक उप निरीक्षक अनिल गौतम, आरक्षक उदयभान सिंह, रोहित यादव और सुजीत सिंह की टीम द्वारा की गई।

खुले में मांस विक्रय करने वालों के विरूद्व की गई कार्यवाही

शहडोल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में खुले में मांस का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार नगरपालिका शहडोल के अमले द्वारा शहडोल नगर के बस स्टैंड के पास खुले में मांस का विक्रय करने वाले 7 दुकानदारो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1800 रूपये की राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। साथ ही दुकानदारो को समझाइश भी दी गई की खुले में मांस का विक्रय न किया जाए एवं निर्धारित स्थानो पर ही दुकाने संचालित करें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में स्वच्छता निरीक्षक अनिल महोबिया आईसी इंचार्ज गौरव, भूपेश कोहरे, आनंद यादव सहित अन्य कर्मचारियो की भूमिका रही।

बोरी बंधान कार्य कर जल संरक्षण का दिया गया संदेश, लोगों ने किया श्रमदान

शहडोल।

मध्यप्रदेश जन अभियान के तत्वाधान में शहडोल जिले में जल संचय अभियान के तहत बोरी बंधान का कार्य जनमानस के सहयोग से निरंतर जारी है। बोरी बंधान कार्य में जन अभियान परिषद के नवाकुंर संस्था, प्रस्फुटन समिति सदस्यो, सीएम सीएमएलडीसी के विद्यार्थियो व स्थानीय ग्रामवासी उत्साह एवं उमंग के साथ सहभागिता निभाते हुए श्रमदान कर रहे है और जल के एक-एक बूंद के संचय का संदेश दे रहें है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश जन आभियान परिषद् जिला शहडोल विकासखंड गोहपारू के सेक्टर क्रमांक 02 अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी न. 02 अन्तर्गत उल्टा नाला में बोरी बंधान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोरी बंधान में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय, ब्लॉक समन्वयक आलोक सोधिय, नवांकुर संस्था वीर सावरकर सेवा समिति से मुकेश केवट, मेंटर मुकेश पाठक, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति देवदहा के सदस्य, संस्था के सदस्य, सीएमसीएलडीपी के विद्यार्थियो एवं स्थानीय ग्रामवासियो ने श्रमदान किया।

स्कूल में छात्रों को दी कानूनी सतर्कता की सीख

शहडोल। जिले के पपौंध थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में बच्चों को कानून और सुरक्षा के प्रति सजग बनाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान ने गति पकड़ ली है। शुक्रवार को वे अपनी टीम के साथ शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल निपानिया पहुंचे, जहां छात्रों के बीच आयोजित विशेष सत्र में उन्होंने कानून, यातायात और साइबर सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं।

थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में कानून की बुनियादी समझ केवल अभिभावकों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी आवश्यक है। सडक़ों पर बढ़ती दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि नाबालिग छात्रों का वाहन चलाना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह उनकी और दूसरों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

उन्होंने हेलमेट पहनने की अनिवार्यता, ट्रैफिक सिग्नल का पालन, तेज रफ्तार के दुष्परिणाम और बिना लाइसेंस वाहन संचालन से होने वाली कानूनी कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय, मोबाइल फोन का सुरक्षित उपयोग, ओटीपी और लिंक शेयरिंग के खतरे तथा सोशल मीडिया पर अनचाहे संपर्कों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी।

थाना प्रभारी ने बच्चों को बताया कि किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीडऩ, अवैध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल पुलिस या विद्यालय प्रबंधन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि कानून तभी मजबूत बनता है जब नागरिक जागरूक हों। विद्यालय प्राचार्य और शिक्षकों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्रों को वास्तविक जीवन से जुड़े ऐसे सत्र अत्यंत उपयोगी और जागरूककारी होते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने उत्साह से प्रश्न पूछे और पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अभियान अन्य विद्यालयों के लिए भी उदाहरण बन रहा है और इससे क्षेत्र में सुरक्षा जागरूकता बढऩे की उम्मीद है।

खाद-औषधि विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

ग्राहक भगवान के समान, उनके अधिकारों की रक्षा अनिवार्यः शर्मा

बाजार में मिलावट को लेकर बढ़ी चिंता

शहडोल। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की जिला इकाई के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भागवत प्रसाद शर्मा ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ग्राहक व्यापारी के लिए भगवान के समान है और उसके साथ किसी भी प्रकार की ठगी, मिलावट, धोखाधड़ी या अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। शर्मा लंबे समय से उपभोक्ता हितों पर काम कर रहे हैं और मानते हैं कि उपभोक्ता का सम्मान और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

श्री शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता अपनी मेहनत की कमाई से सामान खरीदता है, इसलिए उसे शुद्ध सामग्री, उचित मूल्य और सुरक्षित उत्पाद मिलना उसका मौलिक अधिकार है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे बेची जाने वाली वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित करें, मूल्य सूची और बिल प्रदान करें, और खुले व पैकेटबंद खाद्य सामग्री का लेन-देन नियमों के अनुसार करें। उन्होंने यह भी कहा कि दुकानदार एक्सपायरी डेट की जांच में कोई लापरवाही न बरतें और समयावधि पार सामग्री की बिक्री तुरंत बंद करें।

जिला अध्यक्ष ने चिंता जताई कि कई उपभोक्ता बिना एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता जांचे सामग्री खरीद लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम है। उन्होंने कहा कि ग्राहक-दुकानदार के बीच विश्वास और पारदर्शिता ही स्वस्थ व्यापार की नींव है। इस दौरान श्री शर्मा ने खाद-औषधि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न उठाए। उनका आरोप है कि बाजार में खाद्य पदार्थों के सैंपल समय पर नहीं लिए जा रहे, जिससे मिलावटी और नकली सामग्री की बिक्री की आशंका बढ़ गई है। यह स्थिति उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि बाजार में खाद्य सामग्री की नियमित जांच, निगरानी और संदिग्ध सामग्री पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अंत में शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे खरीदारी के समय गुणवत्ता, मूल्य और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें तथा किसी भी शिकायत की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचित करें।

नेशनल लोक अदालत में 20 खंडपीठें करेंगी प्रकरणों का निराकरण

13 दिसम्बर को विभिन्न मामलों में मिलेगी छूट

शहडोल। जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के.एन. सिंह द्वारा किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार और जयसिंहनगर में भी होगा। नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में कुल 20 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें जिला न्यायालय शहडोल में 9, सिविल न्यायालय ब्यौहारी में 4, बुढ़ार में 4 तथा जयसिंहनगर में 3 खंडपीठें शामिल हैं। इन खंडपीठों में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस से जुड़े मामलों, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया जाएगा।

जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरण निपटने पर संपूर्ण कोर्ट फीस वापस की जाती है और विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। नगर पालिका सहित अन्य विभागों के प्री-लिटिगेशन मामलों में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है।

विद्युत प्रकरणों में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा निर्धारित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत तथा चूक की स्थिति में लगने वाले 16 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर यह छूट क्रमशः 20 प्रतिशत और 100 प्रतिशत रहेगी। यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक के आकलित दायित्व वाले मामलों पर लागू होगी। उपभोक्ता को छूट मिलने के बाद शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही अन्य संयोजनों पर बकाया राशि का भी पूर्ण भुगतान करना पड़ेगा।

निर्धारित नियमों के अनुसार यह लाभ केवल पहली बार विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के मामलों में ही दिया जाएगा।

कार्यालय नगर परिषद बुढ़ार जिला-शहडोल (म.प्र.)

क्रमांकः-1801/ई-टेण्डरिंग/2025 **आनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना** बुढ़ार, दिनांक 02.12.2025

निम्नलिखित कार्यो की आनलाइन निविदा https://mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की गई है। कार्यो का विस्तृत विवरण वेवसाइट पर देखा जा सकता है।

Tender No.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6
2025_UAD_465741_1	HIRE VEHICAL TATA SAFARI AC ON RENT FOR CHAIRMEN NAGAR PARISHAD BURHAR DISTRICT SHAHDOL M.P.	300000.00	30000.00	2000.00	12 माह (जनवरी-26 से दिसंबर-26)

1. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि दिनांक 03.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 17.12.2025 को सांय 17.30 बजे तक निर्धारित है।
2. ऑनलाईन दर प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 03.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 17.12.2025 को सांय 17.30 बजे तक निर्धारित है।
3. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर उसे केवल वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा, समाचार पत्रों में नही।
4. अन्य विवरण उपरोक्त पोर्टल पर देखे जा सकते है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् बुढ़ार, जिला-शहडोल म.प्र.

रिसोर्ट में की खाद्य पदार्थो के गुणवत्ता की जांच, मिली गंभीर अनियमितताएं

उमरिया ।

खाद्य सुरक्षा विभाग की उडऩदस्ता टीम द्वारा बांधवगढ़ स्थित रिसोर्ट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जाँच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

जांच के दौरान ओलिव होटल एवं रिसोर्ट में किचन की जाँच के दौरान चाईनीज खाद्य पदार्थों को बनाने में अखाद्य कॉर्न फ़्लोर का उपयोग होना पाया गया,जिसका उपयोग कपड़ों को कलफ़ करने में किया जाता है।ऐसी अखाद्य कॉर्न फ्लोर के इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा होने की संभावना है। मौक़े से समस्त कॉर्न फ़्लोर के नमूने ज़ब्त किए गए। जाँच के दौरान किचन के फ्रिज में कॉकरोच चलते हुए पाए गए, जिस पर संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

टीम द्वारा एक अन्य रिसोर्ट धरोहर कोठी की जाँच की गई।जिसमें छत्तीसगढ सरकार द्वारा गरीबों को वितरित किए जाने वाला निःशुल्क नमक अमृत,रेस्टोरेंट में उपयोग करते पाया जिसके 32 पैकेट मौक़े से ज़ब्त किए गए।संचालक के पास एफएसएसएआई का लाइसेंस भी नहीं पाया गए। संचालक द्वारा एफ़एसएसएआई और रजिस्ट्रेशन बनवाया गया था जो कि छोटे खाद्य कारोबार कर्ता के लिए होता है। कार्रवाई के दौरान मैनेजरों अमित शुक्ला द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर उनको काट दिया गया एव कार्यवाही में असहयोग किया गया ।संचालक जयवर्धन कुरोथे एव मैनेजर अमित शुक्ला के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

किसानों के जीवन में खुशहाली लाना सरकार का लक्ष्य: विधायक

वॉटर शेड के तहत 6 ग्राम पंचायतों के 12 ग्रामों को मिल रहा लाभ: कलेक्टर

उमरिया।

जिले के ऐसे क्षेत्र जहां पानी की उपलब्धता कम है, वहां पर वाटरशेड योजना के माध्यम से खेत तालाब आदि संरचनाओ का निर्माण किया जाकर किसानों को पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। उक्त आशय के विचार बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने ग्राम खालेकठई में कृषक सुविधा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए । उन्होने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व्दारा अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना प्रारंभ की गई है, जिसका लक्ष्य 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होने ग्रामीणों को आव्हान करते हुए कहा कि गेहू, धान के साथ साथ के दलहन एवं तिलहन की खेती करना प्रारंभ करे और अपनी आय को दोगुना करें । केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृत संकल्पित है। किसानों के चेहरो के खुशहाली आए,यही सरकार का लक्ष्य है ।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि जिले में दो वाटरशेड योजना स्वीकृत है, जिसमें अमडी एवं खालेकठई शामिल है। वाटरशेड योजना के तहत 6 ग्राम पंचायतों के 12 ग्रामों को इसका लाभ मिल रहा है ।जिले में 85 स्थानों पर बोरी बंधान के माध्यम से जल संरक्षण किया गया है । प्रधानमंत्री व्दारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना मां उमरिया जिला भी शामिल है। योजना के तहत किसान दलहन एवं तिलहन की खेती करें और आय अर्जित करें । कृषि के क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए सरकार निरंतर रूप से कार्य कर रही है ।

उन्होने कहा कि वाटरशेड कार्य में कुल 53 कार्य लागत 526.50 लाख रूपये एवं जल भंडारण क्षमता 638500 घनमीटर के व्दारा 220 हे0 में सिंचाई क्षमता विकसित की गई । 46 हे0 परती भूमि कृषि योग्य भूमि मे परिवर्तित हुई है । 177 हे0 भूमि एक फसल से द्वि फसल में बदलाव किया गया । कार्यक्रम में वाटरशेड कार्य में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम बिरहुलिया के 15 सदस्यीय दलों व्दारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई । इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह,प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज,जनपद पंचायत अध्यक्ष करकेली प्रियंका मून सिंह, सरपंच पठारी गोविंद प्रसाद गौतम, सरपंच खालेकठई, उरदानी, उप सरपंच सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

कॉलरी चोरी कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नकाबपोश गिरोह के खिलाफ अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

हरिभूमि न्यूज जमुना/बदरा।

जमुना 1/2 खान मुडधोवा स्थित पंखा घर में सोमवार देर रात हुई बड़ी चोरी की घटना पर आखिरकार पुलिस ने गंभीर एक्शन लेते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है पूर्व में प्रकाशित समाचार में खुलासा किया गया था कि कॉलरी परिसर में सुरक्षा तंत्र की भारी कमी का लाभ उठाकर हथियारबंद नकाबपोशों ने दो कर्मचारियों को बंधक बनाया और लाखों रुपये मूल्य के ट्रांसफार्मर व केबल चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार सुरक्षा प्रहरी पन्नूलाल तथा ऑपरेटर रामखेलावन साहू 7 दिसंबर की देर रात लगभग 1:45 बजे ड्यूटी पर मौजूद थे तभी करीब 30,35 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों का गिरोह अचानक पंखा घर में घुस आया आरोपियों ने दोनों कर्मचारियों को पकड़कर गाली-गलौज व मारपीट की, फिर उन्हें पंखा घर के भीतर बंद कर दिया इसके बाद गिरोह ने दो ट्रांसफार्मर खोलकर चुरा लिए तथा बगल में लगी केबल तारें भी काटकर ले गए, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये से अधिक बताई गई है। पीड़ित कर्मचारी किसी तरह सुबह 5 बजे बाहर निकल सके और अधिकारियों को घटना की सूचना दी खदान प्रबंधन द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की थाना भालूमाड़ा में आईपीसी की धारा 457, 380 व अन्य धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक विपुल कुमार शुक्ला को सौंपी गई है। इस घटना ने कॉलरी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि ठैथ की तैनाती के बावजूद जिस स्थान पर चोरी हुई वहां बीएसएफ की ड्यूटी नहीं थी इससे पहले भी तीन महीने पूर्व इसी क्षेत्र में लाखों की चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है लगातार हो रही घटनाओं से कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। पुलिस का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और आरोपियों का सुराग जुटाने के लिए विशेष टीम काम कर रही है।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की नई यूनिट की स्थापना संबंधी हुई बैठक

हरिभूमि न्यूज चचाई। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई व सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी में 660-660 मेगावाट क्षमता की नई यूनिट की स्थापना कार्य प्रारंभ करने हेतु ईपीसी कांट्रेक्टर (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एन्ड कंस्ट्रक्शन) बीएचईएल, परियोजना सलाहकार एनटीपीसी और मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के वरिष्ठ अभयिंताओं के मध्य शुरुआती किक-आफ मीटगिं आयोजित हुई। दो दिवसीय बैठक में चचाई व सारनी में स्थापित होने वाली नई यूनिट के दायरे, कार्ययोजना एवं समय सीमा पर विस्तृत विमर्श किया गया। बैठक में परियोजना के निर्माण से संबंधति प्रमुख तकनीकी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बैठक दोनों नई इकाइयों के सफल क्रियान्यवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बैठक परियोजना की शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस बैठक में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह, डायरेक्टर टेक्निकिल सुबोध निगम, डायरेक्टर कॉमर्शयिल मिलिन्द भान्दक्कर, मुख्य अभयिंता परियोजना विवेक नारद, बीएचईएल की ओर से आशुतोष त्यागी व विकास कुमार और एनटीपीसी की ओर से विजय प्रताप व हीरेन्द्र सोनकर ने परियोजना के संबंध में गहन चर्चा की और यह सुनिश्चति किया कि समय सीमा में सभी कार्यों को क्रियान्वति करके दोनों यूनिट से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जाए।

जल हमारे जीवन का अभिन्न अंगः विधायक

ग्राम खालेकठई के पथरहा नाला में किया गया बोरी बंधान

उमरिया। जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है । जल संरक्षण की दिशा में सरकार के साथ-साथ आम जनों को भी आगे आना होगा, तभी हम आने वाली पीढी के लिए जल बचा पाएगे । उक्त आशय के विचार बांधवगढ़ क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह ने करकेली विकासखंड के ग्राम पथरहा नाला में मप्र जन अभियान परिषद व्दारा आयोजित बोरी बंधान कार्यक्रम को संबोधित करते हुये व्यक्त किए गए । उन्होने कहा कि जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नही की जा सकती है । बोरी बंधान के हो जाने पर इसका लाभ ग्रामीणों सहित मवेशियों को भी मिलेगा । बोरी बंधान कार्यक्रम पूर्णतः सामूहिक सहयोग पर केन्द्रित है, जिसमें लोगों का सहयोग ही इसे सफल बना सकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि जल संरक्षण और जल संवद्र्धन को लेकर बोरी बंधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । अभियान अंतर्गत गाँव-गाँव में मौजूद जल-स्रोतों का जीर्णोद्धार, साफ-सफाई की जा रही है । ग्रामीण जन इस अभियान में बढ़-चढक़र सम्मिलित हों और अभियान को सफल बनायें। उन्होंने कहा कि जल हमारे जीवन का प्रमुख अंग है और इसका संचय कर ही हम भविष्य की आवश्यकता को सहेज सकते हैं। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, प्रभारी एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद रविन्द्र शुक्ला,सरपंच पठारी गोविंद प्रसाद गौतम,परामर्शदाता जय भारती साहू सहित अन्य जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे ।

विधायक कलेक्टर ने निर्माण कार्यो का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

उमरिया। जिले के करकेली विकासखंड के ग्राम खालेकठई में आयोजित वाटरशेड कार्यक्रम में विधायक बांधवगढ शिवनारायण सिंह, कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया । इस दौरान उन्होने ग्राम पंचायत घोघरी के ग्राम बरौदा में 13.73 लाख से निर्मित चौक डेम, ग्राम पंचायत कोहका 47 में 4.73-4.73 लाख रूपये की लागत से निर्मित दो खेत तालाबो का लोकार्पण किया।इसी तरह ग्राम पंचायत घोघरी के ग्राम बरौदा में 21.50 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले तालाब निर्माण,ग्राम पंचायत कोहका 47 के ग्राम डोगरगवां में 4.37 लाख रू0 की लागत से निर्मित होने वाले खेत तालाब तथा ग्राम पंचायत कोहका 47 के ग्राम डोंगरगवां में 4.37 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले खेत तालाब निर्माण का भूमि पूजन किया । इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह,प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज, सरपंच पठारी गोविंद प्रसाद गौतम,सरपंच खालेकठई, उरदानी, उप सरपंच सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

खालेकठई में किया गया पौधरोपण

उमरिया। करकेली विकासखंड के ग्राम खालेकठई में आयोजित वाटरशेड कार्यक्रम में विधायक बांधवगढ शिवनारायण सिंह, कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन तथा सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कृषक सुविधा केंद्र ग्राम खाले कठई में फलदार पौधो का रोपण किया तथा उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज, जनपद पंचायत अध्यक्ष करकेली प्रियंका मून सिंह, सरपंच पठारी गोविंद प्रसाद गौतम, सरपंच खालेकठई, उरदानी,उप सरपंच सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

प्रबंधक को खरीदी केन्द्र में समस्त व्यवस्थाएं दुरूस्त रखने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरौला का किया निरीक्षण

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बांधवगढ तहसील अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भरौला का औचक निरीक्षण किया तथा केंद्र में उपस्थित किसानों से रूबरू चर्चा करते हुए व्यवस्था के संबंध में आवश्यक पूछताछ की । इस दौरान उन्होने प्रबंधक को खरीदी केंद्र स्थल पर बारदाना, पीने के पानी, बिजली व्यवस्था,टेंट, मौसम खराब होने की स्थिति में तिरपाल की व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि खरीदी के पश्चात ही परिवहन की व्यवस्था की जाए,ताकि समय रहते धान यथा स्थान तक पहुंच सके। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक ने बताया कि अब तक 717.6 क्विटल धान की खरीदी की गई है । प्राप्त बारदानो की संख्या 9 हजार है । निरीक्षण के समय सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।

नगर पालिका की लापरवाही से व्यर्थ बह रहा पानी

हरिभूमि न्यूज कोतमा। नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण नगर में लोगों द्वारा बडी लापरवाही की जा रही है। जिसके चलते सार्वजनिक पेयजल की खुली व टूटी टोटियों से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है साथ ही लोगों के द्वारा सड़क पर ही वाहनों की धुलाई की जा रही है जिसके कारण सड़क पर पानी बहता है। जबकि पानी को बचाने के लिए सरकार जागरूकता अभियान पर भारी भरकम राशि खर्च कर रही है। इसके बाद भी जिम्मेदार इसको लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा नल-जल के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे पानी को घरों में किया जा रहा बर्बाद 50 प्रतिशत कनेक्शनों में नहीं हैं टोटियां, फिर भी बर्बादी रोकने नहीं की जा रही कार्यवाही। नगर में कुछ स्थानों में सुबह और कुछ स्थानों में सुबह व शाम को प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई की जा रही है। लेकिन इस दौरान लोग अपने उपयोग का पानी भरने के बाद पानी को बहा रहे हैं, वहीं कुछ लोग घरों के बाहर पानी से सफाई तो कोई वाहनों को धुलकर सैकडों लीटर पानी की बर्बादी कर रहे हैं। जीवन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा पानी की किल्लत झेल रहे उन इलाकों से लगाया जा सकता है। जहां पानी की एक-एक बूंद को लोग तरस जाते हैं। शहर में पेयजल संरक्षण के प्रति न तो शहरवासियों में जागरुकता दिख रही है और ना ही नगर पालिका इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों में नगर पालिका की ओर से लगाए गए पेयजल की नलों पर कई ऐसे हैं, जहां टोटियां तक नहीं हैं। इसी तरह पानी बहता रहता है। हालात ये हैं कि पेयजल सप्लाई होने पर काफी समय तक जब पानी नाली एवं सड़कों में बहता रहता है, तब लोग जान जाते हैं कि नल में पानी आ गया है। ऐसी टोंटियों से पानी भरने के बाद, लोग पाइप निकाल कर घर में रख लेते हैं। जिसके कारण टोंटियों से पानी बर्बाद होता रहता है। नगर पालिका की ओर से बताया गया कि जो भी सार्वजनिक कनेक्शन हैं वहां पर टोंटियां लगाई गई हैं, लेकिन लोगों द्वारा घरों के कनेक्शनों में टोंटियां नहीं लगाई गई हैं जिससे प्रतिदिन पानी बर्बाद हो रहा है। नगर पालिका आये दिन लोगों से अपील भी करती है, लेकिन अपील के बाद भी लोगों द्वारा पानी को बर्बाद किया जा रहा तो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता।

नगर पालिका कर सकती है कार्यवाही

नगर पालिका क्षेत्र में पानी की बर्बादी हो या फिर पानी के कनेक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है तो नगर पालिका को उसका कनेक्शन काटने, जुर्माना लगाने आदि का पूर्ण अधिकार है। लेकिन कोतमा नगर में हो रही हजारों लीटर पानी की बर्बादी के बाद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। टूल्लू पंप का हो रहा उपयोग। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग टुल्लू पंप लगाकर पानी भर रहे हैं और फिर दरवाजे को साफ करने से लेकर वाहनों और घर के सामने के रास्ते को पानी से धुलने का काम किया जाता है। इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को है, लेकिन इसके बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इनका कहना है

जल्द ही अभियान चलाते हुए ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी।

प्रदीप झारिया, सीएमओ
नगर पालिका परिषद कोतमा

कोतमा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं

सिविल अस्पताल की घोषणा के साथ ही संयुक्त खंड स्तरीय कार्यालय भी नहीं हुआ संचालित

हरिभूमि न्यूज कोतमा

कोतमा विधानसभा क्षेत्र की जनता आस लगाए हुए बैठी है कि हमारे क्षेत्र से इकलौते मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा कोतमा का रुका हुआ विकास आगे बढ़ सके कोतमा क्षेत्र की जनता की प्रमुख आवश्यकता स्वास्थ्य सुविधा को लेकर है साथ ही नगर में सभी विभागों का खंड स्तरीय कार्यालय संचालित करवाए जाने सहित कोतमा से लामा टोला जाने वाला रास्ता अत्यंत जर्जर एवं गड्ढे भरे रास्तों से सफर तय करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है साथ ही नगर में संचालित शासकीय मॉडल स्कूल जिसका भवन तो बना हुआ है लेकिन बाउंड्री बाल नहीं होने के कारण आसमाजिक तत्वों का जमघट लगा रहने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है । पूर्व में मुख्यमंत्री के द्वारा कोतमा नगर में 100 बिस्तरों का अस्पताल संचालित करवाए जाने की घोषणा भी की गई थी लेकिन अभी तक भवन का निर्माण कार्य भी शुरू नही हो सका जिसके कारण क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा एवं डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। जिसको लेकर भी लोग आस लगाए बैठे हैं ।

भवन स्वीकृत लेकिन काम नही हुआ शुरू

16 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनूपपुर जिला मुख्यालय में प्रथम आगमन हुआ था और इस दौरान मंच से उनके द्वारा कोतमा नगर को 100 बिस्तरीय अस्पताल संचालित करवाए जाने की घोषणा की गई थी और उसके बाद मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा खनिज मद से भवन स्वीकृत करवाया गया लेकिन आज तक निमार्ण कार्य शुरू नही करवाया गया। धरातल पर अभी तक घोषणा पर अमल नहीं हुआ जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है ।

बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था

कहने को तो कोतमा विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश में एवं संभाग से इकलौते मंत्री दिलीप जायसवाल जो विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं उनके ही क्षेत्र में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। कहने को तो कोतमा नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है और क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन दाहिनी कहलाए जाने वाला अस्पताल अपने आप में बीमार नजर आ रहा है। वर्तमान में दो नियमित एवं संविदा डॉक्टर तथा बांड के डाक्टरों के दम पर अस्पताल संचालित करवाया जा रहा है और वह भी उधार के भरोसे अस्पताल संचालित हो रहा है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण लगभग 15 डॉक्टरों की नियुक्ति विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ होनी चाहिए लेकिन अस्पताल डॉक्टरों की समस्या से जूझ रहा है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा रेफर केंद्र बनकर रह गया है। नियमित रूप से डॉक्टर के एल दीवान एवं डा गणेश प्रजापति कोतमा अस्पताल में पदस्थ है जिसमें डा के एल दीवान को खंड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। पूर्व में जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आंदोलन भी किया गया था जहां मात्र आश्वासन देकर आंदोलनकारियों को बलपूर्वक उठा दिया गया, लेकिन आज तक डॉक्टरों की पद स्थापन नहीं की गई। जनप्रतिनिधियों के द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गई और उच्च न्यायालय के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में 15 दिवस के अंदर विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापन के साथ उपकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ जिसके कारण अब लोग भगवान के भरोसे अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था चला रहे हैं।

नही हुआ खंड स्तरीय कार्यालय संचालित

मुख्यमंत्री के अनूपपुर प्रथम आगमन पर मंच से मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि जल्द ही कोतमा में सभी विभागों के संयुक्त कार्यालय एक साथ संचालित होंगे लेकिन वह भी घोषणा मात्र घोषणा होकर रह गई आज तक संयुक्त कार्यालय भी संचालित नहीं हो पाया। नगर के शासकीय मॉडल स्कूल की भूमि का आज तक सीमांकन नहीं हो पाया जबकि मॉडल स्कूल के लिए 10 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था लेकिन भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण बाउंड्री बाल का निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया। शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं की नजर गिद्ध की तरह जमी हुई है। बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का जमा बड़ा लगा रहता है रात के अंधेरे में स्कूल परिसर में बैठकर नशे के सेवन के साथ ही शराब का सेवन भी किया जाता है सुबह परिसर मे शराब की खाली बोतल के साथ अन्य आपत्ति जनक सामग्री पडी रहती है। छात्रों एवं नागरिकों ने विद्यालय की भूमि का सीमांकन के साथ ही बाउंड्री बाल निर्माण की मांग वर्षो से कर रहे है। कोतमा से लामा टोला गांव जाने वाली सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है बारिश के दिनों में सड़क में गड्ढे होने के कारण कीचड़ एवं बारिश का पानी भरा होने के कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क अत्यंत ही खराब हो गई है। जर्जर सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है।

खबर संक्षेप

आधार कैंप की अवधि बढ़ाई गई, 5 अन्य स्थानों पर और लगेंगे

कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर आयोजित हो रहे आधार शिविरों में व्यवस्थाओं और सुविधाओं का विकास किया गया है। साथ ही शिविर आयोजन की तिथि भी एक सप्ताह के लिये बढ़ा दी गई है। ई-गवर्नेंस के जिला प्रबंधक सौरव नामदेव ने बताया कि पहाड़ी में लग रहे आधार शिविर में विगत 3 दिनों से अतिरिक्त मशीन संचालित करने से यहां प्रतिदिन करीब 150 से 170 व्यक्तियों के आधार संबंधी कार्य शिविर में निष्पादित किये जा रहे हैं। बताया गया पहाड़ी में लगने वाले आधार शिविर की अवधि बढ़ाई गई है। इसके अलावा 5 अन्य स्थानों पर भी अतिरिक्त कैंप प्रारंभ कर दिये गये हैं। इनमें साधुराम स्कूल कटनी, टीसीबाजन स्कूल कैंपस कटनी, ग्राम पंचायत पचपेढ़ी, ढ़ीमरखेड़ा एवं बाकल हायर सेकेण्डरी स्कूल बहोरीबंद एवं बीआरसी ऑफिस जनपद पंचायत बड़वारा में अतिरिक्त कैंप लगाये जा रहे हैं। इसके साथ इन कैंपों में टेबल कुर्सी, बिजली, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था भी करने की जानकारी दी गई।

राजीनामा योग्य प्रकरणों का कराये निराकरण

कटनी। कल 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु जिला न्यायालय कटनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में, नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायालय में लंबित समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराये जाने के संबंध में वन-टू-वन चर्चा की गई एवं न्यायालय में लंबित समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं सचिव सुमित शर्मा ने आगामी दिनांक 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते से निराकरण कराये जाने हेतु आमजन से अपील की।

अवैध रूप से भंडारित 2200 क्विंटल धान जब्त

कटनी। गोदामों में अवैध रूप से भंडारित धान के भौतिक सत्यापन करने के संबंध में कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में गुरूवार को संयुक्त जांच दल ने स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम भूला और ग्राम टिकरिया के गोदामों का औचक निरीक्षण कर 5 हजार 500 बोरियों में रखी करीब 2 हजार 200 क्विंटल धान जब्त किया। जिला प्रशासन द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश पर गठित खाद्य, राजस्व एवं कृषि उपज मंडी के संयुक्त जांच दल ने स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम भूला स्थित असाटी कृषि केन्द्र की जांच की। इस दौरान दुकान के भीतर गोदाम में 3 हजार बोरी धान का भंडारण पाया गया। जिसको जब्त कर इस धान के परिवहन एवं निकासी पर 20 जनवरी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद जांच दल ग्राम टिकरिया पहुंचा। जहां विकास असाटी के द्वारा कृषि हेतु लिये गये खेत में लगभग 2 हजार 500 बोरी धान का भंडारण पाया गया। इस भंडारित धान के संबंध में कोई भी दस्तावेज और अभिलेख विकास असाटी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसलिये इस धान को भी जब्त कर इसकी निकासी पर रोक लगाते हुये श्री असाटी के सुपुर्द नामे में सौंपा गया। जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी सज्जन सिंह परिहार, सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी यज्ञदत्त त्रिपाठी, मप्र नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक देवेन्द्र तिवारी शामिल रहे।

इमली एचबीची समूह की महिलाओं ने की थाने में शिकायत, 44 हजार नगद लेकर एजेंट हुआ फ़ुर्र

बुढ़ार। इमली एचबीची समूह इमली टोला की महिलाओं ने शुक्रवार को थाने पहुंचकर एक प्राइवेट बैंक कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि देवेंद्र सिह राठौड़ पिता नत्थू लाल के द्वारा समूह की महिलाओं से ऋण राशि लेकर बैक में न जमा करने के संदर्भ में।

समूह की महिलाओं ने थाने में दिये गये शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि एचडीएफसी बैंक कंपनी प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह राठौर के द्वारा प्रतिमाह 14 हजार 9 सौ 9 रुपए नगद तीन महीने की ऋण राशि कुल 44 हजार 7 सौ 27 रुपए नकद व मोबाइल पर बसूली कर लिया है और उक्त राशि को बैंक के ऋण खाते में जमा नहीं कराया जिसकी बसूली के लिए बैंक अधिकारी दबाव बना रहे हैं।

समूह की सावित्री ने बताया कि बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि ने हम सभी से लगातार तीन महीने तक की किश्त बसूल कर भाग गया है और कई बार उनके दूरभाष पर संपर्क किया लेकिन फोन नहीं रसीव कर रहे हैं हमारे समूह के खाते को एचडीएफसी बैंक के द्वारा ओडी लगाकर सिविल ख़राब करने की धमकी दे रहे हैं।

इमली एचबीची समूह की महिलाओं ने थाना प्रभारी से आग्रह करते हुए कहा है कि जाल साज कथित एजेंट पर कानूनी कार्रवाई कर हम सभी महिलाओं की जमा पूंजी वापस दिलाईं जायें।

स्थानीय मजदूरों ने जताया विरोध, मेडिकल-BTC के बाद भी ड्यूटी नहीं; प्राइवेट कंपनी पर बाहरी मजदूरों को बढ़ावा देने का आरोप

धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत प्राइवेट कंपनी आर.के.टी.सी. अमलाई OCM पर स्थानीय मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि मेडिकल और BTC पूरी करने के बाद भी उन्हें अब तक ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा है, जबकि हाल ही में 25 बाहरी मजदूरों को चुपचाप बुलाकर काम पर रख लिया गया है। इससे स्थानीय मजदूरों में भारी आक्रोश है।

स्थानीय BTC धारकों ने बताया कि कंपनी द्वारा पिछले कई महीनों से उन्हें सिर्फ "जल्द ड्यूटी पर रखेंगे" का आश्वासन मिलता रहा, परंतु वास्तविकता में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी गई। मजदूरों का साफ कहना है कि यह उनके साथ स्पष्ट विश्वासघात और उपेक्षा है।इसी बीच कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी पाठक ने कहा है कि"हम 15 तारीख से 5 स्थानीय मजदूरों को लेकर शुरुआत करेंगे और धीरे-धीरे सभी स्थानीय BTC पास वर्करों को ड्यूटी में शामिल कर लेंगे।" लेकिन स्थानीय मजदूर कंपनी की इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। उनका कहना है— "हमारे 5 लोगों को आज से ही ड्यूटी पर लिया जाए। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी मजदूरों को लिया जा सकता है। लेकिन बाहरी लोगों को जिस तरह चुपचाप बुलाकर लगाया गया है, यह अब बर्दाश्त नहीं होगा।" मजदूरों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कंपनी स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं देती, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं, और मजदूरों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है।

विश्व मानवाधिकार दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन

संविधान द्वारा प्रदत्त मानव अधिकार मनुष्य के गरिमा एवं गौरव की गारंटी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ स्लीमनाबाद

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की घोषणा की गई है। इन्हें ही मानवाधिकार कहते हैं। विश्व के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा इन अधिकारों को मान्य करने और मान्य करवाने के लिए अपने -अपने संविधान में कानून का रूप दिया गया है। इसी क्रम में हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए समय समय पर शासन द्वारा अनेकों प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए हमारे देश में एक मानव अधिकार आयोग का गठन भी किया गया है।

उक्त बातें विश्व मानवाधिकार दिवस पर राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम मे जन शिक्षक डॉ दिलीप त्रिपाठी ने उक्त विचार व्यक्त किए।उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में शिक्षा का अधिकार लागू है। कभी विश्व गुरु रहा भारत मध्य युगीन बर्बर आक्रांताओं के आक्रमणों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। शिक्षा की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। इस समय शैक्षिक स्वर्ण युग में प्रवेश के लिए शिक्षा का अधिकार मील का पत्थर है। इसके तहत गांव, मजरे और टोलों तक शिक्षा का प्रकाश फैल चुका है। सुदूर वनवासी अंचलों में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना अब सपना नहीं है। अब तो प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अब अपनी योग्यतानुसार अपना जीवन यापन करना हमारा अधिकार है। कोई इससे वंचित नहीं कर सकता है। प्रत्येक देशवासी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार मनुष्य की गरिमा और गौरव की गारंटी है।कोई नहीं बना सकता गुलाम-वही प्राचार्या डॉ सरिता पांडेय ने कहा कि अब कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता है। कोई हमसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है। इसी प्रकार रंग, नस्ल, भाषा, समाज, जाति और धर्म के आधार पर अब कोइ भेदभाव नहीं कर सकता है। ऊंच-नीच, छोटे-बड़े, अमीर-गरीब आदि अनेक विषमताएं अब विलुप्त हो चुकी हैं।

उद्यमिता एवं स्थापना प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

छात्राओं को स्वावलंबन की ओर प्रोत्साहित करने तथा उन्हें रोजगार प्राप्तकर्ता से रोजगार प्रदाता बनने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु शासकीय आईटीआई कटनी में बुधवार को उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) के माध्यम से एक दिवसीय उद्यमिता एवं स्थापना प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए स्टार्टअप की स्थापना, व्यवसाय पंजीयन, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग रणनीतियों, प्रोजेक्ट तैयारी, तथा स्वयं रोजगार के विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में सेडमैप जिला समन्वयक द्वारा उद्यम स्थापना द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक कौशल, योजना निर्माण, जोखिम प्रबंधन एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं के प्रश्नों का समाधान कर उन्हें प्रायोगिक जानकारी दी गई।

महापौर ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

नगर निगम महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी ने गुरुवार को माधवनगर के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेमू कालाणी वार्ड, आचार्य कृपलानी वार्ड तथा माधव नगर उप-कार्यालय का स्थल निरीक्षण कर क्षेत्र की व्यवस्थाओं एवं नागरिक सुविधाओं का विस्तृत आकलन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

महापौर श्रीमती सूरी ने क्षेत्रीय पार्षद सुमन राजू माखीजा के साथ हेमू कालाणी वार्ड में लगभग 17 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित 300 मीटर सी.सी. सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, स्तर और समतलीकरण की बारीकी से जांच की। महापौर ने मेहड़ दरबार पहुँच वाहेगुरु जी के दर्शन कर नगर सुख समृद्धि की कामना की।

भ्रमण के दौरान आचार्य कृपलानी वार्ड के निवासियों ने महापौर श्रीमती सूरी को वार्ड में सफाई का कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। जिस पर महापौर ने स्वास्थ्य विभाग को त्वरित कार्रवाई के सख़्त निर्देश दिए और वार्ड में नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करने की बात कही। महापौर ने नागरिकों से भी अपील की कि वे कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालें, खुले में कचरा न फैलाएँ। आपने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए इसे जनभागीदारी से ही सफल होने की बात कही।

महापौर ने माधवनगर स्थित नगर निगम उप-कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने उन्हें कई आवश्यकताओं और तात्कालिक समस्याओं से अवगत कराया जिस पर महापौर द्वारा अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किया गया बोरी बंधान

जल प्रकृति की अनमोल संपदा है इसे संरक्षित करना हम सभी का है दायित्व

हरिभूमि न्यूज ▶▶ स्लीमनाबाद

आगामी ग्रीष्मकालीन समय में पानी का संकट न हो इसके लिए जल का संरक्षण व संवर्धन करने जन अभियान परिषद के द्वारा जल संचय अभियान शुरू किया गया है। बहोरीबंद के तेवरी सेक्टर की ग्राम पंचायत बिचुआ के देवरीभार के झिन्ना नाला पर बोरी बँधान कार्य किया गया। यह कार्यक्रम नवांकुर संस्था युवा जन सेवा समिति तेवरी एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सलैया प्यासी तथा सीएम सीएलडीपी के छात्रों के तत्वाधान मै आयोजित किया गया।

जन अभियान परिषद जिला समन्वयक डॉ तेज सिंह केशवाल द्वारा बोरी बँधान कार्य की सराहना की व उसके महत्व की जानकारी दी। उन्होने कहा कि जल प्रकृति की अनमोल संपदा है, इसे संरक्षित करना हम सभी का दायित्व है। जल संरक्षण के कार्य जनसहयोग से निरंतर जारी रखना चाहिए। नदी में जल संरक्षण के लिए बोरी बंधान कार्य किया गया ताकि जल का अपव्यय न हो और जल संरक्षण हो सके। ऐसे प्रयास न केवल जल संकट से राहत दिला सकते हैं बल्कि भविष्य में पीने के पानी की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेंगे।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी निभाई। सभी ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि नाले पर बोरी बंधान के माध्यम से पानी संरक्षित करेंगे । ग्रामीणों को इस कार्य के माध्यम से जल प्रबंधन के अन्य उपायों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया।जल संरक्षण हेतु हैंडपंप नाली एवं नालों में ज्यादा से ज्यादा बरसात का पानी बह जाता है उसके लिए सोक पिट एवं कुछ जगहों मे बोरी बंधान कार्य करने प्रेरित किया गया। जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्यवक अरविंद शाह ने बोरी बंधान के फायदे बतलाये!उन्होंने कहा कि बोरी बंधान कर व्यर्थ बहने वाले पानी को सहेजा जा रहा है। ऐसा करने से गांव में भूमि जलस्तर बना रहेगा। वहीं भीषण गर्मी में भी निस्तार और पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी।बोरी बंधान से जल स्त्रोतों का पानी व्यर्थ नही बहता,भूमिगत जलस्तर बना रहता है।नदी व नालों का अस्तित्व बचाने मैं कारगर है व जलीय जंतुओं के लिए कारगर है।

जेंडर आधरित हिंसा की रोकथाम के लिए हुई कार्यशाला

महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना जरूरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ स्लीमनाबाद

महिला एवं बाल विकास विभाग एकीकृत परियोजना बहोरीबंद के द्वारा बाकल हाई स्कूल में लैंगिंग उत्पीड़न एवं जेंडर आधरित हिंसा की रोकथाम को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जहाँ महिलाओं को महिला अधिकारों को लेकर जानकारियां प्रदान की गईं।

पर्यवेक्षक कंचन माला प्रजापति ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं को संविधान और विभिन्न विशेष कानूनों द्वारा कई अधिकार प्राप्त हैं जिनमें हिंसा और भेदभाव से मुक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार,पंचायत व नगर पालिकाओं में आरक्षण शामिल हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे कानून महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं। संविधान अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है। भारत में धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। वही पर्यवेक्षक सुनीता बेन ने कहा किमहिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा नहीं है। यह कहीं अधिक व्यापक है और इसमें यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय शोषण भी शामिल है। राष्ट्रीय योजना महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के दो मुख्य प्रकारों पर केंद्रित है - घरेलू ओर पारिवारिक हिंसा ओर यौन उत्पीड़न। महिला उत्पीड़न के मामलों में कई धाराएँ लगती हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (लज्जा भंग करने के इरादे से हमला), 354A (यौन उत्पीड़न), और 509 (शब्द, इशारा या कार्य से लज्जा भंग करना) प्रमुख हैं, जो शारीरिक छेड़छाड़, अवांछित यौन प्रस्ताव, या आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित हैं; साथ ही, घरेलू हिंसा के लिए 498A और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भी लागू होते हैं, जो मानसिक/शारीरिक क्रूरता से बचाते हैं। जेंडर आधारित हिंसा का मतलब है किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके खिलाफ की गई कोई भी हानिकारक कार्रवाई, जिससे उसे शारीरिक, यौन, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान पहुँचे, या नुकसान पहुँचाने की धमकी दी जाए।

रेयर अर्थ मिनरल की खोज हुई तेज

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

मप्र में रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे महत्त्वपूर्ण खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य तेज हो गया है। इसके लिये खनिज संसाधन विभाग और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के बीच कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव के दौरान हुए एमओयू का क्रियान्वयन प्रारंभहो गया है। प्रथम चरण में कटनी और जबलपुर जिलों से प्राप्त खनिज नमूने आईआईएसईआरके वैज्ञानिकों को सौंपे गए हैं। प्रमुख सचिवखनिज संसाधन उमाकांत उमराव और डीजीएम फ्रैंक नोबल ए. ने आईआईएसईआर टीम को कटनी और जबलपुर जिलों के खदानों से संभावित रेयर अर्थ मिनरल्स के नमूने उपलब्ध कराये हैं। आईआईएसईआर के वैज्ञानिक इन नमूनों का उच्च स्तरीय प्रयोगशाला में विश्लेषण करेंगे। प्रथम चरण में विश्लेषण महाकौशल क्षेत्र में उपलब्ध रेयर अर्थ मिनरल्स और स्वर्ण की संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा।

खनिज साधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आईआईएसईआर के साथ यह सहयोग राज्य की वैज्ञानिक अन्वेषण क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले भू-वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त होंगे, आगामी अन्वेषण कार्यक्रमों को दिशा मिलेगी तथा रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण खनिजों के नए भंडार चिन्हित करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह पहल मप्र को खनिज आधारित आर्थिक विकास के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। आगामी चरणों में अन्य जिलों से प्राप्त खनिज नमूने भी आईआईएसईआर को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। यह एमओयू तकनीक आधारित खनिज अन्वेषण के नए आयाम खोलने के साथ दीर्घकालिक रिसोर्स सिक्योरिटी को मजबूत करेगा।

खबर संक्षेप

रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर सांसद ने रेल मंत्री से की मुलाकात

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने 11 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात कर शहडोल लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार एवं यात्री सुविधाओं में वृद्धि संबंधी विभिन्न मांगें रखीं। सांसद ने क्षेत्र की जनसमस्याओं का विस्तृत उल्लेख करते हुए रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। रेल मंत्री वैष्णव ने सांसद द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक रूख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सांसद ने अपने मांग पत्र में ट्रेन क्रमांक 18233-34 नर्मदा एक्सप्रेस के वेंकटनगर स्टेशन पर पूर्व में स्वीकृत ठहराव को अभी तक प्रारंभ न किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और शीघ्र ठहराव शुरू करने की मांग की। इसी क्रम में उन्होंने ट्रेन क्रमांक 15231 के बिरसिंहपुर स्टेशन में ठहराव, ट्रेन क्रमांक 18235-36 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस को इतवारी स्टेशन तक विस्तार, रीवादृबिलासपुर ट्रेन को दुर्ग स्टेशन तक विस्तार देने का आग्रह किया। सांसद श्रीमती सिंह ने आगे 12852 बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस को अनूपपुर एवं कोतमा होते हुए अंबिकापुर तक बढ़ाए जाने, 22407 अंबिकापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाने तथा इस ट्रेन का कोतमा स्टेशन में ठहराव सुनिश्चित करने की मांग रखी। साथ ही कटनी से उमरिया, शहडोल, अनूपपुर होते हुए मुंबई तक नई ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे विंध्य और महाकौशल अंचल के यात्रियों को बड़े शहरों तक सुगम संपर्क मिल सके। इसके अलावा सांसद ने रीवा से ब्यौहारी, जयसिंहनगर, शहडोल, डिंडोरी होते हुए मंडला तक नई रेल लाइन स्वीकृत करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इस नई रेल लाइन से आदिवासी बहुल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सांसद हिमाद्री सिंह ने मुलाकात के दौरान कहा कि शहडोल संसदीय क्षेत्र के लोग वर्षों से बेहतर रेल सुविधाओं की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि ये मांगें स्वीकृत होती हैं तो बड़ी संख्या में यात्रियों को सीधे लाभ मिलेगा, क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे। क्षेत्रवासियों ने सांसद द्वारा क्षेत्र के हित में किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की है और आशा व्यक्त की है कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय होगा। उपरोक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह द्वारा दी गई।

स्वास्थ्य शिविर एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम किए गए आयोजित

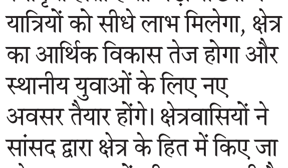

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार तथा श्रीमती माया विश्वलाल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के मार्गदर्शन में एवं विनोद कुमार वर्मा सचिव के नेतृत्व एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटैल द्वारा वन स्टॉप सेन्टर अनूपपुर एवं जिला जेल अनूपपुर में "यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025" के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जनरल मेडिसिन दंत एवं स्त्री रोग संबंधी स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श प्रदान किया गया। लाभार्थियों को निःशुल्क पैथोलॉजी जांच एवं आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध कराई गईं। जिससे कारागार में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ किया जा सके।

लखनपुर के डबल मर्डर केस में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

दौलत के लिए बेटा बना कातिल, जघन्य हत्याकाण्ड को दिया अंजाम

पहली पत्नी से हुए पुत्र ने अन्य 4 के साथ मिलकर रची थी खौफनाक साजिश

फालोअप

हत्या के लिए बेटे ने दी थी 5 लाख की सुपारी, वीडियो भी मिला

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिला मुख्यालय के ग्राम लखनपुर में बीते दिनों डबल मर्डर हुआ था, जिसका पुलिस ने शुक्रवार को सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे के अनुसार बेटे ने ही अपने पिता और नौकरानी का कत्ल करवाया था था। वहीं उसने सौतेली मां पर भी प्राणघातक हमला किया था। मृतक की पहली पत्नी से हुए पुत्र ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पिता व घर में काम करने वाली युवती के हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी पुत्र सहित दो को गिरफ्तार किया गया था, वहीं देर शाम दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। 10 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे ग्राम लखनपुर निवासी घनश्याम उर्फ रामजी पटेल ने 112 पर फोन कर सूचना दी कि शिव मंदिर के सामने रहने वाले राजेन्द्र पटेल की खून से लथपथ लाश और उनके घर में काम करने वाली लड़की सीमा बैगा (25) की लाश खटिया पर पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान, एसडीओपी सुमित केरकेट्टा, कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन, एफएसएल अधिकारियों और डॉग स्क्वाड सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचा। घटनास्थल से महत्वपूर्ण भौतिक व तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस उपमहानिरीक्षक शहडोल रेंज सविता सोहाने भी मौके पर पहुँचीं और आरोपियों की गिरफ्तारी पर 30 हजार का इनाम घोषित किया था।

पिता की संपत्ति पर थी आरोपी पुत्र की नजर

जांच के दौरान सामने आया कि मृतक राजेन्द्र पटेल ने वर्षों पहले अपनी पहली पत्नी को छोड़कर रूपा पटेल से दूसरा विवाह किया था। पहली पत्नी से हुए पुत्र आलोक उर्फ सूरज को बचपन से ही सौतेली मां व पिता के व्यवहार से शिकायत रहती थी। परिवार में संपत्ति को लेकर लगातार विवाद बना रहता था। मृतक राजेन्द्र द्वारा अपनी सारी जमीन,

ट्रैक्टर व अन्य संपत्ति छोटे बेटे आयुष के नाम करने की बात कही जाती थी, जिससे आलोक नाराज रहता था। हाल ही में 25 नवंबर को 18वां जन्मदिन मनाने के बाद दोस्तों के साथ घूमने पर पिता द्वारा डांटने व तमाचा मारने से उसका गुस्सा और बढ़ गया था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया।

5 लाख रुपये में हुआ मर्डर कॉन्ट्रैक्ट

गुस्से में आकर आलोक ने अपने 16 वर्षीय दोस्त से अपने पिता और सौतेली मां की हत्या कराने की बात कही। इस दोस्त ने तीसरे 16 वर्षीय नाबालिग से उसकी मुलाकात करवाई और हत्या के बदले पाँच लाख रुपये का सौदा तय हुआ। इस मुलाकात और बातचीत का वीडियो उसी नाबालिग आरोपी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में जप्त किया है।

आधी रात दिया वारदात को अंजाम

रात करीब 1 बजे आरोपी आलोक, दो नाबालिग किशोर और देवेंद्र सोनवानी मोटरसाइकिल से लखनपुर पहुँचे। सभी

ब्लैक वेडनेस-डे, 4 मौतों ने जिले को झकझोरा

ने मिलकर सोते समय राजेंद्र पटेल, उनकी पत्नी रूपा पटेल और काम वाली सीमा बैगा पर लोहे की कुल्हाड़ी, वसूला, लाठी और सिलबट्टे से हमला किया। हमले में राजेंद्र पटेल और सीमा बैगा की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल रूपा पटेल बेहोशी की हालत में मिलीं, जिन्हें पहले जिला अस्पताल, फिर शहडोल मेडिकल कॉलेज और बाद में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उनकी हालत अभी भी गंभीर है और वे बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।

पांचो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आलोक उर्फ सूरज पटेल (18 वर्ष), दो नाबालिग आरोपी (16द्16 वर्ष) को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी, वसूला और मोबाइल फोन जप्त कर लिए हैं, वहीं पुलिस ने 12 दिसम्बर की देर शाम देवेंद्र सोनवानी (18 वर्ष), एक अन्य 17 वर्षीय नाबालिग किशोर को गिरफ्तार करने में सफलता पा ली हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छत्तीसगढ़ में दबिश दी थी।

पुरस्कृत होगी पुलिस टीम

पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी सविता सोहाने ने टीम को 30 हजार का इनाम देने की घोषणा की है। पूरी घटना में एसपी मोती उर रहमान के नेतृत्व में एसडीओपी सुमित केरकेट्टा, कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन, उपनिरीक्षक अजय तेकाम, सहायक उपनिरीक्षक पवन प्रजापति, रघुराज सिंह, प्रधान आरक्षक शिवशंकर प्रजापति, महेन्द्र राठौर, शेख रसीद, राजकुमार साहू, आरक्षक प्रकाश तिवारी, अमित यादव, दीपक बुंदेला, अनूप पुषाम, दिलीप सिंह, अब्दुल कलीम, कमलेश रैदास, संजय सिंह, महिला आरक्षक कुंती शर्मा, जानकी, सायबर सेल अनूपपुर, के प्रधान आरक्षक राजेन्द्र अहिरवार, आरक्षक पंकज मिश्रा की टीम को त्वरित कार्रवाई कर मामले का खुलासा किया गया।

खबर के तुरंत बाद प्रशासन ने अमरकंटक-गौरेला टैक्सी विवाद सुलझाया

पर्यटन दर सूची लागू; होटलों, आश्रमों और धर्मशालाओं में भी चस्पा होगी दर सूची

खबर का असर

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। पवित्र नगरी अमरकंटक के नगर पंचायत सभागार में शुक्रवार को एसडीएम पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट की अध्यक्षता में अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा क्षेत्र के टैक्सी चालकों के बीच पिछले एक सप्ताह से चल रहे विवाद को समाधान हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम पेंड्रा रोड विक्रांत कुमार अंचल, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ नवीन तिवारी, एसडीओपी गौरेला श्याम कुमार सिदार, एसएचओ गौरेला सौरभ सिंह, थाना प्रभारी अमरकंटक लाल बहादुर तिवारी, उपनिरीक्षक पी.एस. बघेल, सीएमओ चैन सिंह परस्ते सहित बड़ी संख्या में वाहन मालिक, चालक और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विवाद ने बाधित किया था आवागमन

बीते दिनों अमरकंटक और पेंड्रा रोड के टैक्सी चालकों के विवाद के कारण दोनों ओर का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर आने वाले पर्यटक, तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्यटन नगरी अमरकंटक की छवि पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। हरिभूमि समाचार में मुद्दा प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने तत्काल संयुक्त बैठक बुलाई। एक बार फिर हरिभूमि ने जन सरोकार का मुद्दा प्रशासन के समक्ष रखा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बार्डर पर स्थित पवित्र नगरी अमरकंटक मे आने वाले पर्यटक, तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की समस्याओं का त्वरित व पारदर्शी निर्णय से आम जनमानस को स्थाई राहत मिली।

चालकों ने रखी समस्याएं

बैठक में दोनों क्षेत्रों के चालकों ने अपनी-अपनी समस्याएँ अधिकारियों के समक्ष रखीं। अमरकंटक के चालकों ने बताया कि पेंड्रा रेलवे स्टेशन पर सवारियों के लिए खींचातानी, दरों में असमानता और स्थानीय चालकों द्वारा

हरिभूमि
अमरकंटक-पेंड्रा रोड टैक्सी चालकों के विवाद से पर्यटक परेशान
पवित्र नगरी की पर्यटन छवि पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव

अवरोध पैदा किए जाने से बार-बार विवाद की स्थिति बनती है। मामला बढ़ते-बढ़ते आवागमन बंद होने की स्थिति में पहुँच गया।

वन-वे प्रणाली पर सर्वसम्मति से निर्णय

लंबी चर्चा के बाद प्रशासन और टैक्सी यूनियनों के बीच वन-वे प्रणाली लागू करने पर सहमति बनी। पेंड्रा के वाहन पेंड्रा से सवारी लाकर अमरकंटक छोड़ सकेंगे, पर वापसी में सवारी नहीं उठाएँगे। अमरकंटक के वाहन अमरकंटक से सवारी पेंड्रा रेलवे स्टेशन छोड़ सकेंगे, पर स्टेशन से सवारी नहीं लेंगे। पहले से बुक की गई पारिवारिक यात्राएँ, निजी बुकिंग और टूरिस्ट बुकिंग पर यह नियम लागू नहीं होगा। सहमति बनते ही दोनों क्षेत्रों के वाहन पुनः आवागमन में लौट आए। पर्यटन स्थलों और परिक्रमा तट परिवर्तन के लिए एक समान दर सूची लागू हुई। बैठक में अमरकंटक टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष आदित्य जायसवाल द्वारा प्रस्तुत दर सूची को एसडीएम ने अनुमोदित किया। निर्णय हुआ कि सभी पर्यटक स्थलों एवं परिक्रमा तट परिवर्तन हेतु एक समान अधिकृत दरें लागू होंगी। हर वाहन पर यह दर सूची अनिवार्य रूप से चस्पा होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

होटल-आश्रम भी दर सूची करेंगे प्रदर्शित

प्रशासन ने यह भी तय किया कि यह दर सूची केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अमरकंटक क्षेत्र के सभी होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों और आवास सुविधाओं में भी इसे प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि पर्यटक पारदर्शिता के साथ सही दरों की जानकारी प्राप्त कर सकें। टैक्सी यूनियन शीघ्र ही इस संबंध में औपचारिक निर्देश जारी करेगी।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

बैठक के अंत में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सहमति से तय शर्तों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर 2100 रूपये का अर्थदंड तथा अधिकतम सात दिनों तक वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि यह पहल अमरकंटक गौरेला आवागमन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ पर्यटक सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

न गांधी झुके, न गांधीजन झुकेंगे - अरविंद अंजुम

अनूपपुर। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और गांधी संस्थानों को मिटाने की कोशिश का गांधीजन डटकर मुकाबला करेंगे। न गांधी झुके थे न गांधीजन झुकेंगे। यह बात राजघाट वाराणसी से राजघाट नईदिल्ली पदयात्रा के संयोजक और सर्व सेवा संघ के मंत्री अरविंद अंजुम ने स्थानीय सिंधी धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय सर्वोदय सम्मेलन एवं पदयात्री अभिनंदन समारोह में व्यक्त किए। जो सर्व सेवा संघ युवा प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश सर्वोदय मंडल, मध्यप्रदेश गांधी स्मारक निधि और गांधी भवन न्यास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित था। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष और पदयात्रा के मुख्य शिल्पकार संयोजक राम धीरज ने कहा कि पदयात्रा से विचार की जो शक्ति प्रकट हुई है वह अन्यतम है। सेवा संघ के मंत्री अरविंद कुशवाहा ने कहा कि पदयात्रा में मध्यप्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा और सबसे सशक्त थी। पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय संयोजक रेणुका गांधी ने कहा कि देश के सामने आसन्न संकट के समाधान गांधी विचार में निहित हैं। अपने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और विरासत बचाने के लिए हमारा अहिंसात्मक संघर्ष जारी रहेगा। सर्वोदय समाज के राष्ट्रीय संयोजक संतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि जनता के बीच जाने और उससे सत्य कहने के अलावा लोकतंत्र में बदलाव का दूसरा मार्ग नहीं है। आपने मध्यप्रदेश का मन बढ़ाने के लिए पदयात्रियों का अभिनंदन किया। सम्मेलन में राजघाट वाराणसी से राजघाट नई दिल्ली पदयात्रा में शामिल पदयात्रियों ने अपने अनुभव रखे। विवेक यादव, आसमां आदिवासी, संजो, सचिन, सौरभ, भागीरथी बैगा, भागवत पटेल, दलपत सिंह, शिवकांत त्रिपाठी, चंद्रशेखर सिंह आदि युवाओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पदयात्रा में उन्हें अहिंसा की शक्ति का अहसास हुआ और यह भी कि गांधी भारत की आत्मा में बसते हैं। आयोजन में राष्ट्रीय युवा संगठन और लोक समिति ने सयोग किया ।सर्व सेवा संघ युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भूपेश भूषण ने संचालन किया। मध्यप्रदेश सर्वोदय मंडल के मंत्री अंकित मिश्रा ने अध्यक्ष चिन्मय मिश्र का संदेश पढ़कर सुनाया और संगठन के कार्यक्रमों की चर्चा की। सम्मेलन में एकता कला मंच के साथियों ने हरिहर भाई के नेतृत्व में समाज परिवर्तन के गीत गए। पदयात्रियों का शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने खड़ी भेंटकर अभिनंदन किया। सम्मेलन में शहर के अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ गिरीश पटेल हास्य कलाकार पवन छिबर, वरिष्ठ सर्वोदय अनंत जौहरी, महेश शर्मा, एडवोकेट जनक राठौर, हीरालाल राठौर, राजन राठौड़ जिले के कुछ प्रमुख नेताओं का आना भी हुआ जिसमें श्याम सिंह गुड्डू चौहान अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर पूर्व जिला अध्यक्ष एसडीएम रमेश सिंह जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानवेंद्र मिश्रा रफी अहमद जनपद सदस्य चंद्रकुमार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार गुप्ता शहडोल वरिष्ठ साथी,सरदार करतार सिंह एच सी चौहान, इनके अतिरिक्त कार्यक्रम को विशेष रूप से संयोजित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर सिंह शिवाकांत त्रिपाठी सृष्टि शर्मा श्रेया शर्मा माधुरी सिंह सीता शर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे जो खास बात रही 10 वर्षी दो छोटे बच्चे जो सर्वोदय स्थल संभाल रहे थे प्रज्ञा और निकिता पिंकी सिंह दिनेश केवट सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बलात्कार कर शादी से इंकार के आरोपी की जमानत निरस्त

आर्डर

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी मो0 इस्तयाक मंसूरी पिता मो0 मुस्ताक उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम रघुनाथगंज, जिला रीवा, हाल निवास - वार्ड नंबर 03, राठौर मोहल्ला, थाना अनूपपुर, जिला अनूपपुर ने अपनी जान पहचान की अभियोक्त्री जो कि अन्य समाज से संबंधित पीड़ित को 02.10.2025 को मंदिर घुमाने के लिये बोलकर राजेन्द्रग्राम बुलाया। वंहा से बस में बैठाकर पहले इन्दौर एंव इन्दौर से पानीपत ले गया, जंहा किराये के कमरे में दोनो रहते थे अभियुक्त पीड़ित को शादी की बात कहकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा बाद में शहडोल लाकर पीड़ित को शादी नहीं करने की बात कहकर छोड़कर भाग गया। जिससे व्यथित होकर अभियोक्त्री/पीड़ित ने थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट लिखवाई। थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा अपराध के संबंध में अपराध क्रमांक 549/2025 भारतीय न्याय संहीता की धारा 69 एंव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(अ) में पंजीकृत किया गया और आरेपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरेपी की ओर से माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल (एसटीएससी एक्ट) के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए बलात्कार के आरोपी मो0 इस्तयाक मंसूरी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया। आरोपी वर्तमान में 03.12.2025 से जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध है।

अनूपपुर पुलिस ने 3 साल बाद मास्टर माइंड मानव तश्तर को किया गिरफ्तार

सोशल मीडिया से दोस्ती कर नाबालिगों का करती थी शिकार

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। ग्रामीण इलाकों की गरीब असहाय और मजबूर नाबालिक बच्चियों को सोशल मीडिया, फोन के माध्यम से अपनापन दिखा कर एक ऐसी ख़ौफनाक साजिश की शिकार बनाती थी। पेशेवर मानव तश्तरी करने वाली "परिस्ता टेकाम" जो अब सलाखों के पीछे है। यह खबर समाज को जागरूक करने के लिए है कि किसी भी अनजान से दोस्ती, सोशल मीडिया के माध्यम से मेल मिलाप किस तरह से जानलेवा, दैहिक शोषण और मानव तश्तरी पर जाकर खत्म होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर आरोपी नाबालिग बच्ची कल्पना के घर पर पहुंच कर परिवार से अपनापन दिखा रोजगार, अच्छी लाइफ स्टाइल का प्रलोभन दे कर मानव तश्तरी की मास्टरमाइंड परिस्ता टेकाम से मेल मिलाप तक पहुंचती है। नाबालिग बच्ची को अपने झांसे में लेकर अपनापन दिखा कर 18 अप्रैल 2022 को "परिस्ता टेकाम" अपने घर घुमाने के बहाने बच्ची को बालाघाट ले जाने के लिए तैयार करती है और रवाना हो जाती है, लेकिन बच्ची बालाघाट न पहुंच कर उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंच जाती है जहां पर कल्पना को महज 25000 हजार रुपए में बेच दिया जाता है। बच्ची कल्पना को बेचने के बाद मानव तश्तर की मास्टरमाइंड "परिस्ता टेकाम" 16 वर्षीय बच्ची को छोड़कर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाती है।

नाबालिग की जिद ने बचाया

इधर बच्ची के पिता को ये यकीन था कि बच्ची रोजगार के लिए गई हुई है लेकिन 46 दिनों तक कोई खोज खबर न मिलने पर 16 वर्षीय बच्ची के पिता 04 जून 2022 को राजेंद्रग्राम थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते है कि एक महिला जिसकी उम्र 28 वर्ष है वह बेटी कल्पना को बीते 46 दिन पहले रोजगार के नाम से बालाघाट के लिए ले गई थी जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। मामला नाबालिग बच्ची से जुड़ा था जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए तात्कालीन एसडीओपी सोनाली गुप्ता ने विशेष टीम गठित कर बच्ची की पता तलाशी के लिए रवाना करती है। बच्ची की पता तलाशी करते हुए पुलिस की टीम कई जगहों पर दबिश देती रही लेकिन पुलिस को असफलता ही हाथ लगती है। गौरतलब हो कि बच्ची कल्पना का सौदा जिस व्यक्ति से हुआ था वह उस बच्ची से शादी कर लेता है बच्ची के बार बार जिद करने पर सौदागर बच्ची के परिजनों से बात करवाने को लेकर राजी हो जाता है और फोन के माध्यम से बच्ची कल्पना की बात उसके पिता से करवाता है। इस बात की सूचना पुलिस को लगते ही साइबर सेल की मदद से पुलिस उस लोकेशन तक पहुंचती है।जिसमें पुलिस को सफलता मिलती है और दिनांक 03 अगस्त 2022 को बच्ची कल्पना को सकुशल दस्तयाब कर लिया जाता है।

नाबालिग ने बताई आपबीती

16 वर्षीय कल्पना को दस्तयाब कर जब तत्कालीन एसडीओपी सोनाली गुप्ता के बच्ची से मिलती है तब बच्ची कल्पना अपनी आप बीती सुनती है कि "मेरी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से परिस्ता टेकाम नाम की युवती से हुई थी वह मुझसे मिलने राजेंद्रग्राम आई थी और मेरे परिवार से भी मिली थी मुझे काम के बहाने अपने घर बालाघाट ले जाने को कहकर घर से ले गई,लेकिन वह घर न ले जाकर उत्तरप्रदेश के मथुरा जिले के लक्ष्मण नामक व्यक्ति को बेच देती है और मुझे तब पता चला जब मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी और मेरी शादी जबरदस्ती लक्ष्मण नामक व्यक्ति से कर दी जाती है। साथ ही बताया कि मेरे साथ कई बार जबजस्ती दुष्कर्म भी किया गया है" जिसके कारण कल्पना 3 माह की गर्भवती भी हो जाती है। बच्ची की दस्तयाबी के समय ही खरीददार लक्ष्मण को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कल्पना को बेचने वाली परिस्ता टेकाम अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर थी जो पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गया कि ऐसी न जाने कितनी मासूम कल्पना मानव तश्तरी करने वाली परिस्ता टेकाम की शिकार हुई या हो रही होगी। पुलिस की खोजबीन में सामने आया कि मास्टरमाइंड परिस्ता टेकाम लगातार अपना ठिकाना बदल बदल कर पुलिस को बीते 3 वर्षों से चकमा दे रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मास्टर माइंड आरोपी परिस्ता टेकाम के ऊपर पहले भी थाना मालाजखंड जिला बालाघाट में मानव तश्तरी और पास्को एक्ट के तहत 2 अपराध पंजीबद्ध है। तब पुलिस अपनी खोज और तेज कर देती है।

इस पूरी कार्यवाही में 3 वर्ष बीत जाते है और फिर मुखबिर की सूचना और साइबर की मदद से मानव तश्तरी करने वाली आदतन अपराधी जो इस खेल की मास्टर माइंड "परिस्ता टेकाम" रही है उसे मंडला जिले से गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यायलय में पेश कर जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 363, 366, 370, 376 (2) (एन) पास्को 3, 4, 5(जे) 2, 6 एसटीएससी 3 (2) व्ही के तहत कार्यवाही की गई है। समाज में न जाने कितनी आदिवासी बाहुल्य जिले की बेटियां इस तरह जालसाजी का शिकार हो रही है या हो चुकी है जिसमें रोजगार दिलवाना, अच्छी लाइफ स्टाइल के प्रलोभन से शिकार होती जा रही है हमारा उद्देश्य इस खबर के माध्यम से समाज को जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें।